फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 40 प्रभात जयपुर, गुरूवार 10 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

India's Milk Story Is Not Yet Complete

Rajasthan has emerged as India's leading milk producer, contributing a significant share to national output

A Turning Point in Rhino Conservation

The Sacred Symbolism of the Golden Roof of Nataraja Temple

निकाय चुनावों के रिजल्ट का खास फर्क नहीं पड़ेगा प्रदेश की राजनीति में?

जिन कारणों से भजनलाल मु.मंत्री बने थे, उनमें कोई खास परिवर्तन होता नज़र नहीं आ रहा, अतः मु.मंत्री बने रहने पर कोई संकट आने की संभावना नहीं नज़र आ रही

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजस्थान में भाजपा की मौजूदा सरकार इसका एक उदाहरण है।

मुख्यमंत्री बिल्कुल अचानक ही राज्य के शीर्ष पद पर पहुंच गए।

आरएसएस से गहराई से जुड़े और कम चर्चा में रहने वाले इस नेता ने दशकों तक पार्टी के लिए चुपचाप काम किया। वे भाजपा के युवा मोर्चे के तीन बार जिला अध्यक्ष, भरतपुर जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और अंत में महासचिव रहे। उन्होंने 27 साल की उम्र में अपने गाँव अटारी के सरपंच के रूप में पहली बार सत्ता का स्वाद चखा।

उनकी दो प्रमुख जिम्मेदारियाँ थीं और दोनों को उन्होंने बखूबी पूरा किया, चाहे वो उन बसों की संख्या नोट करना हो, जो किसी भी भाजपा रैली में आईं या अमित शाह से अटैच रहना, जब भी वे जयपुर आते थे।

- भाजपा की रैलियों में आने वाली बसों की संख्या को गिनने से लेकर, अमित शाह के जयपुर आते ही उनके साथ पूर्णतया अटैच रहने की जिम्मेवारी को बखूबी निभा ले गए हैं भजनलाल, किसी को इस जिम्मेवारी में चूक होने की शिकायत सुनने में नहीं आई।
- इन जिम्मेवारियों के वहन में, इस बात से भी काफी मदद मिली कि मु.मंत्री भजनलाल का रिहायशी मकान भी हवाई अड्डे के पास है।
- ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक चुनौतियाँ नहीं आईं। ओ.बी.सी. कमिशन के सर्वे व रिपोर्ट के बाद, ओ.बी.सी. का जनसंख्या में शेयर 52 प्रतिशत से घटकर 43-45 प्रतिशत रह जाएगा। इससे राजनीतिक तापमान बढ़ेगा। क्योंकि, ओ.बी.सी. का आरक्षण 21 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत होने की संभावना है। पर, अभी ओ.बी.सी. कमिशन की पूर्ण अधिकृत रिपोर्ट आने का इंतज़ार है।
- फिलहाल शांति है तथा निकायों के चुनाव के नतीज़े भी शायद इस शांति में खलल नहीं डाल पाएंगे।

संयोग से भजन लाल का निवास हवाई अड्डे के पास था, इसलिए उनके लिए वहां मौजूद रहना और उनके साथ रहना आसान हो गया।

यह उनके लिए सौभाग्य साबित हुआ और देखते ही देखते वे शीर्ष पर पहुँच गए और उन्हें बहुत जबरदस्त तरक्की मिली।

2023 में उन्होंने पहली बार सांगानेर से राजस्थान विधानसभा में प्रवेश किया और कुछ ही दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। माना जाता है कि उन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वकील को 15 तक सुरक्षा दें या पुलिस कमिश्नर पेश होकर स्पष्टीकरण दें'

जयपुर, 9 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश पर एक वकील को दी गई सुरक्षा को वापस लेने से जुड़े मामले में कहा है कि पूर्व में दिए आदेश के तहत वकील को 15 सितंबर तक सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। जस्टिस अनुरूप सिंघी की एकलपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता

- हाई कोर्ट ने अधिवक्ता राघव की अवमानना याचिका पर आदेश दिए।

आरएस राघव की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 20 अगस्त, 2015 के आदेश की अक्षरशः पालना की जाएगी और याचिकाकर्ता को दो निजी सुरक्षा अधिकारी मुहैया कराए जाएंगे। एएजी की ओर से कहा गया कि निगम चुनाव को देखते हुए सरकार को तीन दिन का समय दिया जाए और मामले की सुनवाई 15 सितंबर को तय की जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर को तय करते हुए आदेश की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंजाब में भाजपा का 2022 में वोट शेयर 6.6 था, जो 2024 में 18-19 प्रतिशत हुआ था

अतः भाजपा की रणनीति परम्परागत हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर अपने गैर जाट, दलित व अर्बन समर्थन को मजबूत करने की है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। गैर-जाट, दलित और शहरी मतदाताओं को एकजुट करके खुद को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश में भाजपा ने 18 सितंबर से 12 दिनों की चारतरफा यात्राएं शुरू करने का फैसला किया है।

चारों यात्राएं एक साथ ऐसे स्थानों से शुरू होंगी, जिन्हें सिख धर्म में महत्व, सैन्य इतिहास और भाजपा की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर चुना गया है। इनमें तलवंडी साबो (तख्त दमदमा साहिब), फतेहगढ़ साहिब (जो गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों से जुड़ा है), फाजिल्का में वीर भूमि स्मारक (1971 के युद्ध से जुड़ा) और पठानकोट/लखनपुर के पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मारक शामिल हैं।

ये यात्राएं, जो नशा मुक्ति और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर केन्द्रित होंगी, राज्य के विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले मार्गों से गुजरेंगी और अंत में एक बड़े कार्यक्रम (संभवतः जालंधर में एक बड़ी रैली) के लिए एक जगह जुटेंगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इन यात्राओं के मुख्य आकर्षण होंगे। नबीन द्वारा कुछ प्रमुख हिस्सों, जिनमें पठानकोट से शुरू होने वाली यात्रा भी शामिल है, को हरी झंडी दिखाने और शाह द्वारा समापन कार्यक्रम को संबोधित किये जाने की उम्मीद है। भाजपा के एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ राज्य और केन्द्रीय स्तर के नेताओं के इन मार्गों पर रोड शो, जनसभाओं और बाइक रैलियों में शामिल होने की उम्मीद है।

- भाजपा पंजाब में अपने आप को "आप" व कांग्रेस से मुकाबले के लिए एक फोर्स के रूप में प्रस्तुत करे।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्टी बारह दिन की एक साथ चार बड़ी-बड़ी रैलियाँ 18 सितम्बर से आयोजित कर रही है। जिनका भव्य समापन जालंधर में होगा तथा अमित शाह इस समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
- बाकी तो सब ठीक है, पर, भाजपा को सिख बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ क्षेत्रीय व ग्रामीण आइडैन्टिटी (पहचान) ज्यादा मायने रखती है, वहाँ भाजपा को संगठन के ढांचे की कमी खल रही है।

भाजपा की रणनीति के अन्य पहलुओं में दलित/रविदासिया समुदाय से जुड़ाव भी शामिल है। इसमें गुरु रविदास के जन्म-स्थान की पवित्र मिट्टी वाले कलश लेकर यात्राएं निकालना, सिख सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल, किसानों के मुद्दे, हरियाणा की तर्ज पर एमएसपी की गारंटी, उद्योगों को दोबारा मजबूत करना, सीमावर्ती क्षेत्रों का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

"प्रोफेसर" में डबल एफ लगाना भारी पड़ा भारत रत्न को

पुरानी मतसूची (इलैक्ट्रोल रोल) में प्रोफेसर सी.एन.आर. राव की उपाधि में प्रोफेसर में एक एफ का उपयोग तथा नई सूची में प्रोफेसर में दो एफ लिखा गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। प्रो. सीएनआर राव, जिन्होंने रसायन विज्ञान के कुछ सबसे जटिल क्षेत्रों में काम करके, नई समझ के रास्ते खोले हैं, को कर्नाटक में मतदाता सूची को ठीक करने की प्रक्रिया, स्पैशल इंटैंसिव रिविज़न (एसआईआर) के तहत नाम में असमानता को लेकर नोटिस दिया गया है।

पुरानी मतदाता सूचियों में उनका नाम प्रौफ. सी.एन.आर. राव है, जबकि नई लिस्ट में यह प्रौफ. सी.एन.आर. राव के रूप में दर्ज है, जिसमें प्रौफ. शब्द में एक अतिरिक्त 'एफ' जुड़ा हुआ है।

- इसे "एस.आई.आर." ने सही नहीं, बल्कि विवादित माना और नोटिस देने की तैयारी की।

हालांकि, राव के कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का जिक्र करते हुए प्रतिनिधि ने कहा, "ऐसा लगता है कि इसे ईसीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला गया है। मुझे इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, मैंने इसे नहीं देखा है।"

प्रतिनिधि ने कहा कि प्रौफ. शब्द में एक अतिरिक्त अक्षर (एफ) के अलावा कोई और समस्या नहीं है। कार्यालय के रिकॉर्ड और ईमेल के अनुसार, अभी तक कोई नोटिस नहीं है। कोई भौतिक पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा है।"

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के पास, एक सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

राव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से सम्मानित किया जा चुका है।

जल जीवन मिशन में पूर्व अधिशाषी अभियंता को जमानत नहीं मिली

जयपुर 9 सितंबर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन से जुड़े एसीबी केस में पीएचईडी के शाहपुरा खंड के तत्कालीन अधिशाषी अभियंता विशाल सक्सेना को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार

- एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रकरण को गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया।

दडिया ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में अन्य लोगों के खिलाफ अनुसंधान लंबित चल रहा है। प्रकरण सरकारी टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुडा हुआ गंभीर प्रकृति का है। ऐसे में मामले में इस स्तर पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब सभी "पेइंग गेस्ट" रखने वालों के लिए लाइसैंस लेना अनिवार्य हुआ

सत्य निकेतन बिल्डिंग के स्वतः ही ध्वस्त हो जाने के बाद, दिल्ली सरकार यह नई व्यवस्था लागू करेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं, जिनके चलते दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों के लिए कड़े नियम बनाने का प्रस्ताव कर रही है।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, सभी पीजी के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा, इसे हासिल करने के लिए तीन महीने की समय-सीमा होगी, सिक्यूरिटी डिपॉज़िट के तौर पर तीन महीने के किराए से अधिक रकम नहीं ली जा सकेगी, अलग-अलग इलाकों के हिसाब से किराए की सीमा तय होगी और 12 से अधिक छात्रों को रखने वाले पीजी में रात के समय सुरक्षा गार्ड रखना अनिवार्य होगा।

- जो लोग अभी ऐसे पेइंग गेस्ट आवास की सुविधा चला रहे हैं, उन्हें तीन माह का समय दिया जा रहा है, लाइसैंस प्राप्त करने के लिए।

मुख्य सवाल यह है कि क्या ये नियम दिल्ली के छात्रों के लिए वास्तविक जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे।

दिल्ली के सत्य निकेतन में जिस इमारत के गिरने की घटना हुई थी, उसके बगल की इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया है। एमसीडी और नगर निकाय के अधिकारी चरणबद्ध तरीके से इस तोड़फोड़ की निगरानी कर रहे हैं और टीमें इमारत को एक-एक मंजिल करके गिरा रही हैं।

नई दिल्ली में सत्य निकेतन में हुए जानलेवा हादसे वाली जगह से लगी इमारत को गिराने का काम 9 सितम्बर को फिर शुरू किया गया। छः सितंबर को सत्य निकेतन हॉस्टल की इमारत गिरने के बाद बगल वाली इमारत को "खतरनाक" घोषित किया गया था। इस जानलेवा घटना के बाद एहतियाती कदम के तौर पर अधिकारियों ने इमारत को गिराने का काम अब फिर शुरू कर दिया है।

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न आवासीय सुविधाओं में रहने वाले छात्रों की रहने की स्थिति तथा भवन-सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के कुछ दिनों बाद, बुधवार को दिल्ली नगर निगम ने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पांडव नगर में अवैध इमारतों के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता के उस निर्देश के बाद की गई, जिसमें अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोज़र का इस्तेमाल करने को कहा गया था।

हालांकि, इस कार्रवाई पर स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई चयनात्मक तरीके से की जा रही है। उनका कहना है कि इलाके में इसी तरह की कई मंजिला इमारतें अब भी संचालित हैं, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंतिम परिणाम पर रोक लगाई

जयपुर 9 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 में विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके

- हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और आरपीएस सचिव से जवाब तलब किया।

साथ ही, अदालत ने मामले में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा है कि आयोग भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने ये आदेश संजय आशिया की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूरे वंदे मातरम् के गायन का आदर किया फारुख अब्दुल्ला व उनके पुत्र ने

कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, तो उनकी पार्टी ने कड़क उत्तर दिया, आप हम पर लाद नहीं सकते, हम क्या गाएं और कितना गाएं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 सितम्बर। श्रीनगर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में पूरे "वंदे मातरम्" को गाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रुप ले लिया है।

जहाँ सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से कहा है कि वह गठबंधन के सहयोगियों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकती, वहीं, भाजपा ने कांग्रेस पर "मुस्लिम लीग" जैसा हो जाने का आरोप लगाया है।

यह राजनीतिक विवाद सोमवार को जम्मू-कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण बजाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद शुरू हुआ।

कार्यक्रम में गाए गए गीत के पूरे संस्करण का वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा कि वह गीत के संक्षिप्त संस्करण पर कायम रहने में कांग्रेस का साथ दे।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "पूरा "वंदे मातरम्" उस मिली जुली और विविधतापूर्ण सोच के साथ मेल नहीं खाता, जिसकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए कल्पना की थी और जिसे उन्होंने संवारा था।" उन्होंने

- दूसरी ओर कपिल सिब्बल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की कि फारुख व उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। अतः उन दोनों को कांग्रेस के निर्णय का सम्मान करना चाहिए और नागपुर (संघ परिवार) के निर्णय के आगे नहीं झुकना चाहिए।
- भाजपा की राज्यसभा सदस्य आर.एस. पठानिया ने टिप्पणी की, कश्मीर घाटी के अलगाववादी भी जिस पर आपत्ति नहीं कर रहे, उस पर कांग्रेस के "स्टैण्ड" (सोच) ने दर्शा दिया कि "कांग्रेस मुस्लिम लीग" कांग्रेस हो गई है तथा उसने रूढ़ीवादी ताकतों के आगे आत्म समर्पण कर दिया है।

आगे कहा, "हमारे लिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य नरेन्द्र देव, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और जेबी कृपलानी की सोच, जिसे काफी हद तक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की सलाह ने आकार दिया था, सबसे महत्वपूर्ण है।"

कांग्रेस नेता ने अपने सहयोगियों से आग्रह किया कि वे स्वतंत्रता सेनानियों की समझ और फैसले का सम्मान करें, और इस "सुंदर और ऐतिहासिक गीत" के केवल उसी संस्करण को गाने में पार्टी का साथ दें, जिसे उसने अपनाया था।

इस बात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों पर शर्तें नहीं थोप सकती।

एनसी नेता बशीर अहमद ने कहा, "गठबंधन सहयोगी होने के नाते आप यह तय नहीं कर सकते कि गीत गाया जाए या कितना गाया जाए। वेणुगोपाल को ट्वीट करने का अधिकार है, लेकिन वे इसे थोप नहीं सकते। यह जनता की पसंद है। हम लोगों पर कुछ भी थोपने के खिलाफ हैं।"

कांग्रेस ने गठबंधन सहयोगी पर अपना हमला और तेज करते हुए कहा कि उसे नागपुर (यानी आरएसएस) के निर्देश के आगे नहीं झुकना चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिंह ने कहा, "उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन सहयोगी होने के नाते उन्हें कांग्रेस के फैसले का सम्मान करना चाहिए, न कि नागपुर (आरएसएस) के फैसले का।"

इस बीच, भाजपा ने पूरे वंदे मातरम्

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

श्री महावीर जी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 09 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के करौली स्थिति श्री महावीर जी मंदिर के प्रबंधन और अधिकारों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला

- बरसों से चल रहे श्वेताम्बर और दिगम्बर संप्रदाय के विवाद पर जस्टिस पारदीवाला ने भावुक टिप्पणी की।

की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

कोर्ट ने श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पक्षों को अगले आठ दिनों के अंदर अपनी-अपनी लिखित दलीलें जमा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि आप उस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)